न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः– गजेन्द्र सिंह राठौड, आर0ए0एस0)
अपील संख्याः–141/2013/223 आर.टी.एक्ट (2013/00155)

1. गणपत पुत्र कल्याण
2. गोरधन पुत्र मोहन
3. शोदान उर्फ शिवराज पुत्र मोहन
4. सांवत पुत्र मोहन
5. श्रीमती भूरी पत्नि मोहन
समस्त जाति दरोगा, निवासी सराना तहसील सरवाड जिला अजमेर। (नाम तर्क)

अपीलांटस

बनाम

1. शारदा पत्नि गणेश सिंह जाति दरोगा निवासी अजमेर गेट के पास गोपाल जी मौहल्ला, ब्यावर जिला अजमेर।
2. राधाकिशन पुत्र भवानीसिंह (मृतक) जरिए वारिसानः–
2/1 लाला जी पुत्र राधाकिशन
2/2 जेठमल पुत्र राधाकिशन
2/3 रामनिवास पुत्र राधाकिशन
समस्त निवासी ग्राम सराना तहसील सरवाड जिला अजमेर।
2/4 हेमा पुत्री राधाकिशन पत्नि श्री भंवरसिंह निवासी पचेवर तहसील दूदू जिला जयपुर।
2/5 मदन पुत्र राधाकिशन (मृतक) जरिए वारिसान–
2/5/1 रीना कंवर पुत्री मदन पत्नि विजयसिंह निवासी पिपली चौराहा नाडी मौहल्ला, बिजयनगर अजमेर।
2/5/2 राजेन्द्र पुत्र मदन
2/5/3 महेन्द्र पुत्र मदन
समस्त निवासी ग्राम सराना तहसील सरवाड जिला अजमेर।
3. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार, सरवाड जिला अजमेर।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 17.01.2013 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड जिला अजमेर, राजस्व वाद संख्या 569/2008

उपस्थितः–
1. श्री अजीतसिंह राठौड अभिभाषक अपीलांट
2. एहतेशाम चिश्ती, अभिभाषक रेस्पोडेंट 01
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 03

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

4. रेस्पोडेंट संख्या 2/1 से 2/4 व 2/5/1 से 2/5/3

निर्णय

दिनांकः—15.02.2024

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 569/2008 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17.01.2013 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने स्वयं को अपीलार्थीगण के परिवार से संबंधित बताते हुए एक वाद प्रस्तुत कर ग्राम सराना की जमाबंदी संवत 2059—2062 के खाता संख्या 94 के 17 खसरा नम्बरान की 82—11—00 बीघा भूमि में स्वयं को 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित करने की प्रार्थना की उक्त वाद उपखण्ड अधिकारी केकडी के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया तत्पश्चात उक्त वाद अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया तत्पश्चात उपखण्ड अधिकारी सरवाड सृजित होने पर प्रकरण को पुनः नम्बर पर लिए जाने बाबत कार्यवाही की गई जिसकी कोई जानकारी अपीलार्थीगण को नहीं थी तत्पश्चात बिना विधिक प्रकिया अपनाए मनमाने तौर पर फर्जी सजरे के आधार पर प्रत्यर्थी संख्या 1 को अपीलार्थीगण के परिवार का सदसत मानकार निर्णय व डिक्री दिनांक 17.1.2013 को पारित कर दिया गया। जिसकी जानकारी दिनांक 14.3.2013 को होने पर तुरंत नकल हेतु आवेदन किया गया तथा नकल प्राप्त कर उपखण्ड अधिकारी सरवाड द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17.1.2013 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि उपखण्ड अधिकारी केकडी के न्यायालय में वाद प्रस्तुत होने के बाद लंबित रहा तत्पश्चात उपखण्ड सरवाड बनने के पश्चात प्रकरण हस्तांतरित करने बाबत कोई सूचना व जानकारी प्रार्थीगण को नहीं दी गई तथा उक्त न्यायालय में प्रकरण के लंबित होने की न तो जानकारी थी इसी कारण प्रार्थीगण अपनी पैरवी नहीं कर पाए व अभिभाषक नियुक्त नहीं कर पाए तथा न्यायालय द्वारा पूर्व अभिभाषक का नाम अंकित कर जवाब प्रस्तुत नहीं करना अंकित कर निर्णय पारित कर दिया तथा निर्णय दिनांक 17.1.2013 की जानकारी इसी कारण प्रार्थीगण को उक्त दिनांक से नहीं हो सकी तत्पश्चात विपक्षीगण द्वारा नामांतरकरण खुलवाने बाबत कार्यवाही करने पर दिनांक 14.3.2013 को प्रार्थीगण को जानकारी हुई तथा उसी दिवस को प्रार्थीगण ने उपखण्ड अधिकारी सरवाड के न्यायालय में नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जो दिनांक 18.3.2013 को प्राप्त हुई। तत्पश्चात प्रार्थीगण द्वारा आवश्यक खर्चे का प्रबंध करने एवं अन्य दस्तावेजों को एकत्रित करने में समय व्यतित हुआ है तथा इस कारण अपील प्रस्तुत करने मे हुआ विलंब सदभाविक होने से क्षमा किए जाने योग्य है तथा नकल मिलने में लगा समय का अपवर्जन करने पर अपील साधारण तौर पर भी अंदर अवधि में शुमार किए जाने योग्य है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर

राजस्व अपील प्राधिकारी

अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने अपील बहस में कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी सरवाड के न्यायालय में अपीलार्थीगण के पूर्वज भवानी बक्ष का पारिवारिक सजरा त्रुटिपूर्ण रूप से बताया गया जिसे संभावना के आधार पर बिना उक्त दस्तावेजों के विधिक रूप से साबित करवाए बिना ही सही मानकर जो निर्णय व डिकी उपखण्ड अधिकारी सरवाड द्वारा पारित किया गया वह न्यायिक स्थापित प्रावधानों के प्रतिकूल होने से निरस्त किए जाने योग्य है। वाद पत्र के अभिवचनों में कही भी भवानी बक्ष द्वारा धारित भूमि उसके द्वारा खातेदारी अधिकारों सहित भूमि को कब धारण किया इस बाबत कोई अंकन नहीं किया गया तथा भवानी बक्ष के भूरा नामक कोई पुत्र था इस बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई एवं न ही शारदा जो वादीया थी उसके द्वारा स्वयं को भूरा की पुत्री होना साबित किया गया इस प्रकार प्रत्यर्थी संख्या 1 जो अजनबी है उसने त्रुटिपूर्ण सजरे के आधार पर तथा अन्य दस्तावेजी साक्ष्यों को साबित करवाए बिना ही न्यायालय से अनुतोष प्रदान करने की प्रार्थना की जिसे उपखण्उ अधिकारी सरवाड ने बिना समुचित साक्ष्य की मनमाने तौर पर निर्णय व डिकी पारित की है। प्रत्यर्थी संख्या 1 न तो ग्राम सराना की निवासी है न ही कभी ग्राम सराना में रही न ही ग्राम सरानी की भूमि बाबत हक अधिकार प्रत्यर्थी संख्या 1 में निहित है इसके बावजूद भी उपखण्ड अधिकारी सरवाड द्वारा स्थाई निषेधाज्ञा बाबत अनुतोष प्रत्यर्थी संख्या 1 के पक्ष में प्रदान कर दिया गया जो किसी भी प्रकार से विधिसम्मत नहीं है। उपखण्ड अधिकारी सरवाड द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 6 मृतक को बतौर प्रतिवादी पक्षकार अंकित कर जो निर्णय पारित किया है वह शून्य प्रभावी निर्णय है तथा निर्णय व डिकी अवैधानिक होने से निरस्त किए जाने योग्य है। न्यायालय द्वारा क्षेत्राधिकार परिवर्तन होकर पत्रावली प्राप्त होने पर पक्षकारान को बिना तलब किए ही तथा बिना सूचना दिए एक तरफा तौर पर कार्यवाही कर जो निर्णय पारित किया है वह स्थापित विधिक प्रकिया के प्रतिकूल होने से अपील के माध्यम से निरस्त किए जाने योग्य है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 569/2008 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17.01.2013 में पारित निर्णय को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

6. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 का अवलोकन किया गया प्रार्थना पत्र के अनुसार पूर्व में अपीलाधीन वाद उपखण्ड अधिकारी केकडी के समक्ष लंबित था तत्पश्चात उपखण्ड सरवाड बनने के बाद उक्त प्रकरण उपखण्ड न्यायालय सरवाड को हस्तानांतरित किया गया मगर इस बाबत कोइ सूचना हमें नही दी गई इस वजह से पैरवी नहीं हो पाई अभिभाषक नियुक्त नहीं कर पाए। इस वजह से हमारी ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं करना अंकित कर उपखण्ड अधिकारी द्वारा निर्णय दिनांक 17.1.2013 को कर दिया गया। इस वजह से प्रार्थी अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी नहीं थी। रेस्पोडेंट द्वारा जब अपने पक्ष में नामांतरकरण खुलवाने बाबत तब दिनांक 14.3.2013 को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी हुई। इसी दिन प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया दिनांक 18.3.2013 को नकल प्राप्त की तत्पश्चात आवश्यक कार्यवाही कर अपील को प्रस्तुत कर दिया गया। देरी को क्षमा किया जाए अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाए व अपील का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाए।

7. प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.1.2013 का है न्यायालय हाजा में अपीलांट द्वारा दिनांक 21.3.2013 को अपील प्रस्तुत

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

की गई है। यह सही है कि उपखण्ड न्यायालय सरवाड उपखण्ड न्यायालय केकडी से टूटकर बना है। न्यायालय वकील प्रार्थी की उक्त बात से सहमत है कि प्रकरण को उपखण्ड अधिकारी केकडी से उपखण्ड अधिकारी सरवाड स्थानांतरित किए जाने की जानकारी नहीं थी उपखण्ड न्यायालय केकडी में दिनांक 19.1.2010 को वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज कर दिया गया था। उपखण्ड अधिकारी सरवाड के समक्ष उक्त वाद दिनांक 28.4.2010 को प्रस्तुत हुआ था तथा दिनांक 26.7.2010 को वादीया का वाद पत्र आदेश 9 नियम 4–9 जा0दी0 स्वीकार करते हुए पुनः प्रकरण को दर्ज किया गया। उपखण्ड अधिकारी सरवाड द्वारा वाद पुनः नम्बर पर लेने बाबत की गई कार्यवाही अपीलांट पक्ष की जानकारी में नहीं थी न्यायालय का यह मानना है कि अपीलांट प्रार्थी द्वारा देरी से अपील प्रस्तुत करने बाबत संतोष जनक कारण बताया है। अपील प्रस्तुतीकरण में बहुत ज्यादा देरी नहीं हुई है। न्यायालय गुणावगुण पर प्रकरण का निर्णय करना चाहेगा। अतः अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

8. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया प्रार्थी द्वारा अपीलाधीन आदेश की पालना को अपील के निर्णय होने तक स्थगित रखे जाने हेतु निवेदन किया। उक्त प्रार्थना पत्र पर दिनांक 1.4.2013 को तत्कालीन पीठासीन अधिकारी न्यायालय हाजा द्वारा विवादित आराजीयात बाबत राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखे जाने बाबत अंतरिम आदेश जारी किया गया था।

9. बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील रेस्पोडेंट अनुपस्थित रहे। बहस में वकील अपीलांट ने बताया कि रेस्पोडेंट शारदा द्वारा उपखण्ड अधिकारी सरवाड के समक्ष 88, 92ए, 209 आरटी एक्ट के तहत दावा किया गया था। विवादित खाता ग्राम सराना तहसील सरवाड में स्थित है जिसका पुराना सख्या 90 था नया 94 है कुल 17 है तथा रकबा 82.11 बीघा है। वर्तमान अपीलांट गणपत पुत्र कल्याण का विवादित भूमियों में 1/3 हिस्सा है मोहन का 1/3 हिस्सा है तथा राधाकिशन पुत्र भवानी का 1/3 हिस्सा है। इस राजस्व रिकार्ड को शारदा के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में चैलेंज किया गया सभी एक ही परिवार के सदस्य है। अपीलांट के अनुसार भवानीबक्श उसका दादा था जिसके पिता का नाम भूरा है मां का नाम नौरती है। शारदा द्वारा अपने को भवानीबक्श की पोती बताया गया जबकि रिकार्ड भवानीबक्श के पुत्रों के नाम है शारदा ने अपने आपको भूरा की पुत्री बताई है भूरा की संपत्ति में 1/4 हिस्सा शारदा द्वारा मांगा गया है। दिनांक 17.1.2013 को एसडीओं द्वारा डिकी की गई है। उक्त निर्णय की हमें जानकारी नहीं थी इससे पूर्व अदमपैरवी अदम हाजरी में खारिज हो गया था। पूर्व में यह पत्रावली एसडीओं केकडी के यहां चल रही थी बाद में बाजदायरी के बाद एसडीओं सरवाड में पत्रावली चली। इस बाबत कोर्ट ट्रांसफर की जानकारी हमें नहीं थी वास्तिविकता यह है कि भूरा भवानीबक्श का पुत्र नहीं है। संतान घोषित होने का अधिकार सिविल न्यायालय का है राजस्व न्यायालय का नहीं (आदेश 22 नियम 5 सीपीसी) केकडी से पत्रावली सरवाड के न्यायालय में ट्रांसफर होने के बाद अभिभाषक व पक्षकारों को अदालती नोटिस जारी होने चाहिए थे। अदम हाजरी में खारिज होने के बाद पुनः नम्बर पर लेने की कोई सूचना एसडीओं सरवाड के द्वारा नहीं दी गई। प्रतिवादी संख्या 6 राधाकिशन पुत्र भवानीबक्श की मृत्यु हो चुकी है इनकी मृत्यु डिकी के पूर्व हुई है। मृतक व्यक्ति के विरूद्ध दावा डिकी किया गया है। एसडीओं के समक्ष यह सूचना आ गई थी एलआर को पत्रावली पर लेने के निर्देश भी थे। भवानीबक्श का नामांतरकरण संख्या 255 दिनांक 19.4.1977 से विरासत से विवादित भूमियों में नाम आया था दावा 38 वर्ष बाद किया गया। ग्राम पंचायत सराना द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी

जारी वारिस प्रमाण पत्र दिनांक 16.10.2008 (शारदा के पक्ष में जारी किया गया है) जो कि ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार में नही था। प्रतिवादी द्वारा जवाब नहीं दिया गया दिनांक 17.1.2013 को जवाब बंद कर दिया गया और उसी दिन निर्णय दिया गया राज्य सरकार भी पक्षकार थी। राज्य सरकार द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। केकडी में वकील उपस्थित हुए थे। राधाकिशन के वारिसान को नए सिरे से नोटिस जारी किए गए थे मगर नोटिस तामील नहीं हुए। अंत में निवेदन किया कि पत्रावली को रिमाण्ड किया जाए।

10. बहस बिंदुओं पर मनन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजी साक्ष्यो का अपीलाधीन निर्णय का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन निर्णय में कोई तनकी कायम नहीं की गई है। ना ही कोई तनकीवार निर्णय दिया गया है। कोई साक्ष्य नहीं ली गई है ना ही कोई दस्तावेज एक्जीबीट किया गया है, ना ही कोई डिकी तैयार की गई है, जो कि सीपीसी के आदेश 20 नियम 5,6 का उल्लंघन है।

11. यह सही है कि राधाकिशन की मृत्यु की जानकारी अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सरवाड के समक्ष न्यायालय प्रोसिडिंग के अनुसार दिनांक 30.10.2012 को जानकारी में आ चुकी थी। दिनांक 30.10.2012 की न्यायालय प्रोसिडिंग इस अनुसार है–"पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित प्रार्थीया के द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 सीपीसी का प्रस्तुत किया है, साथ में प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रस्तुत किया गया है अतः वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र दिनांक 7.11.2012 को पेश हो।"

12. न्यायायल प्रोसिडिंग दिनांक 7.11.2012 में निम्न अंकन है" पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित वादीया का प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 सीपीसी स्वीकार किया जाता है तलवाना प्रस्तुत होने पर नोटिस जारी किए जाकार मिसल दिनांक 5.12.2012 को पेश हो।"

13. न्यायालय प्रोसिडिंग दिनांक 5.12.2012 में निम्नअनुसार अंकन है– "पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित प्रस्तुत तलवाना के अनुसार नोटिस जारी हो मिसल दिनांक 28.12.2012 को पेश हो।"

14. न्यायालय प्रोसिडिंग दिनांक 28.12.2012 में निम्नअनुसार अंकन है– "पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित प्रतिवादी हाजिर उन्होंने वादपत्र स्वीकार किया है। अतः वास्ते आदेश मिसल दिनांक 17.1.2013 को पेश हो" उक्त दिनांक की प्रोसिडिंग के एक तरफ महेन्द्रसिंह एवं कालूसिंह अंकित है।

15. न्यायालय प्रोसिडिंग दिनांक 30.10.2012 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सीपीसी एवं धारा 5 मियाद अधिनियम पर कोई जवाब नहीं लिया गया ना ही कोई बहस सुनी गई है बिना जवाब और बहस के उक्त प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 सीपीसी को बिना स्पीकिंग आर्डर के स्वीकार किया है। राधाकिशन के वारिसान को न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किया जाना पाया जाता है। मगर तामील प्रोपर रूप से कुछ वारिसान की व्यक्तिगत रूप से नहीं करवाई गई है दिनांक 28.12.2012 की प्रोसिडिंग में महेन्द्रसिंह, कालूसिंह अंकित हैं। मगर यह किसकी ओर से आए है इनके पिता का क्या नाम है और उनका राधाकिशन से क्या संबंध है यह जानकारी नहीं दी गई है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह पता लगता है कि महेन्द्रसिंह नामक कोई व्यक्ति पक्षकार के रूप में दर्ज नहीं है। कालू पुत्र मदन मृतक राधाकिशन के क्या लगता है यह स्पष्ट नहीं है। उक्त दिनांक की प्रोसिडिंग में यह अंकित है कि प्रतिवादी द्वारा वादपत्र को स्वीकार किया है। मगर पत्रावली पर पक्षकारों द्वारा वाद स्वीकृति बाबत कोई प्रार्थना पत्र, पत्र नहीं दिया गया नां ही प्रोसिडिंग में उनके द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी

यह लिखा गया है कि वादपत्र से वह सहमत हैं। न्यायालय द्वारा सहमति किस आधार पर मानी गई है यह स्पष्ट नहीं है।

16. अपीलाधीन आदेश के ऑपरेटिव अंश को देखा गया जो निम्नानुसार है– प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत 22(4)सीपीसी प्रस्तुत कर बताया कि प्रतिवादी संख्या 6 राधाकिशन की मृत्यु हो चुकी है तथा वारिसान को रिकार्ड पर लिया जावे। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर नोटिस जारी किया वारिसान को किया गया। वारिसान ने उपस्थित होकर दावा के तथ्यो को स्वीकार किया। हमने पत्रावली को बागौर देखा,दस्तावेजात रिकार्ड का सूक्ष्मता से अवलोकन करने पर पाया वाकै ग्राम सरान की जमाबंदी संवत 2023–2026 के खाता संख्या नया पुराना 185–195 किता 16 रकबा 87–14–00 बीघा भवानीबक्श पुत्र पन्ना दरोगा के नाम थी। नामांतरकरण संख्या 255 तारीख 19.4.1970 को फौत होने से भवानीबक्श के बजाय कल्याण, मोहन, राधाकिशन के नाम किया गया वारिसान प्रमाण पत्र दिनांक 16.10.2008 जो सरपंच ग्राम पंचायत सराना द्वारा जारी किया गया है, पत्रावली पर मौजूद है तथा वाद पत्र में वर्णित बंशावली के अनुसार भवानीबक्श के चार पुत्र भूरा, कल्याण, मोहन, राधाकिशन है। प्रतिवादीगण ने भी इसका खण्डन नहीं किया है ऐसी स्थिति में वादीया का वाद पूर्णतया साबित है। प्रतिवादी के द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया है। सिविल प्रकिया संहिता के निर्धारित कानून के अनुसार जवाब बंद किया जाता है तथा वादिया के हक को बिना वजह महरूम करने के प्रतिवादीगण हकदार नहीं पाए जाने के फलस्वरूप वादिया का वादपत्र स्वीकार किया जाता है।

17. अपीलाधीन निर्णय के अवलोकन से यह पता लगता है कि बिना कोई साक्ष्य लिए न्यायालय द्वारा यह मान लिया गया है कि शारदा भूरा की पुत्री है। हालांकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस बाबत ग्राम पंचायत सराना द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र को आधार माना है जबकि ग्राम पंचायत सजरा प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना कोई दस्तावेजी साक्ष्य लिए बिना कोई बयान लिए शारदा को भूरा की पुत्री मान लिया है भूरा की मृत्यु कब हुई शारदा की मां नौरती की मृत्यु कब हुई ऐसी कोई जानकारी किसी भी दस्तावेज से शारदा से न्यायालय द्वारा प्राप्त नहीं की गई है। निर्णय दस्तावेजी तथ्यों पर आधारित होना चाहिए था। जो नहीं किया गया अपने निर्णय में उपखण्ड अधिकारी द्वारा यह लिखा गया है कि प्रतिवादीगण ने भी इसका खण्डन नहीं किया है ऐसी स्थिति में वादीया का वाद पूर्णतया साबित है। जब कि वादी एवं प्रतिवादीगण से कोई साक्ष्य नहीं ली गई है। ना ही प्रतिवादीगण उनके अभिभाषक बहस के दिन उपस्थित थे। न्यायालय को तनकी बनाकर उक्त सब बातों को तनकीवार बाद साक्ष्य लिए जाकर सिद्ध किया जाना था, जो उनके द्वारा नहीं किया गया।

18. पत्रावली के उपखण्ड अधिकारी न्यायालय केकडी से उपखण्ड अधिकारी न्यायालय सरवाड हस्तानांतरण के समय पत्रावली से संबंधित अभिभाषक/पक्षकारों को सूचना दी जानी चाहिए थी जो नहीं दी गई थी।

19. उपरलिखित सम्रग विवेचन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सीपीसी के प्रावधान आदेश 20 नियम 5,6 की पालना नहीं की है कयास के आधार पर वादपत्र को स्वीकार किया है वादपत्र शीर्षक को संशोधित नहीं किया है। जबकि राधाकिशन की मृत्यु की जानकारी न्यायालय को थी। साथ ही ग्राम पंयायत सराना द्वारा वारिस प्रमाण पत्र को अपने निर्णय का आधार बताया जोकि उक्त प्रमाण पत्र जारी करने बाबत सक्षम नहीं थी। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार योग्य है।

20. अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है, अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 569/2008 में पारित निर्णय दिनांक 17.01.2013 को निरस्त किया जाता है.

15.2.2021

राजस्व अपील प्राधिकारी

व प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

15.2.2024

(गजेन्द्र सिंह राठौड)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

21. निर्णय आज दिनांक 15.02.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

15.2.2024

(गजेन्द्र सिंह राठौड)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

CamScanner